न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 267/2025 प्रार्थनापत्र
01 भेरूलाल पुत्र लच्छु गुर्जर, आयु वयस्क निवासी— सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02 सायरी देवी पत्नि लच्छु गुर्जर, आयु वयस्क निवासी— सेहणुन्दा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बनाम
———— प्रार्थी
01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
———— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा— 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

परस्थित :—
श्री मुकेश सिंह तंवर ——अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार सरकार ——उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक— 17.06.2025

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा— 251—ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत
सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे
री के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी नम्बर 653, 654, 655, 2382/649,
4/650, कुल किता 05 कुल रकबा 0.8762 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक
कार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने
एकमात्र रास्ता जो ग्राम सेहणुन्दा के बिलानाम आराजी नम्बर 50 रकबा 0.1138 हैक्टयर एवं ग्राम गरवाय के
नाम आराजी नम्बर 920 रकबा 1.5049 हेक्टयर भूमि में से होकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 653, 654, 655,
2/649, 2384/650, कुल किता 05 कुल रकबा 0.8762 हैक्टयर भूमि मे आता जाता जाता है। जिसमे से
ो को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीवद्ध किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने
पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नहीं या वैकल्पिक
ा भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते
राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय
ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज
ाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता
तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू
लेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा के आराजी नम्बर 653, 654, 655, 2382/649, 2384/650, कुल किता 05 कुल
0.8762 हैक्टयर भूमि में आने—जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 के बिलानाम आराजी नम्बर 50 रकबा 0.1138
पर एवं ग्राम गरवाय के बिलानाम आराजी नम्बर 920 रकवा 1.5049 हेक्टयर भूमि विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है
के पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार
जी नम्बर ग्राम सेहणुन्दा के बिलानाम आराजी नम्बर 50 रकवा 0.1138 हैक्टयर एवं ग्राम गरवाय के बिलानाम
जी नम्बर 920 रकबा 1.5049 हेक्टयर भूमि जो कि निकटतम रास्ता है। रास्ते के रूप मे ग्राम गरवाय के
नाम खसरा नम्बर 920 रकवा 1.5049 बंजड बिलानाम भुमि मे से 0.0828 हेक्टयर (8मीटर चौड़ा एवं 121मीटर
)एवं ग्राम सेहणुन्दा के बिलानाम आराजी नम्बर 50 रकवा <u>0.1138</u> हैक्टयर मे से 0.0088 हेक्टयर (8मीटर
11मीटर लम्बा) अर्थात् दोनो राजस्व ग्राम से कुल रकवा 0.9628 हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने
भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी की
जी नम्बर 653, 654, 655, 2382/649, 2384/650, कुल किता 05 कुल रकवा 0.8762 हैक्टयर भूमि मे आने
हेतु विपक्षी सख्या 01 की ग्राम गरवाय के बिलानाम खसरा नम्बर 920 रकवा 1.5049 बंजड बिलानाम भुमि मे
0828 हेक्टयर (8मीटर चौडा एवं 121मीटर लम्बा)एवं ग्राम सेहणुन्दा के बिलानाम आराजी नम्बर 50 रकवा 0.
हैक्टयर मे से 0.0088 हेक्टयर (8मीटर चौडा 11मीटर लम्बा) अर्थात् दोनो राजस्व ग्राम से कुल रकवा 0.9628

Vgen
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर करेड़ा

प्र भूमि के रूप में रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का
ापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद सेहणुन्दा पटवार हल्का सेहणुन्दा भू अभिलेख
क्षक क्षैत्र चितामा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात
के आराजी नम्बर 653, 654, 655, 2382/649, 2384/650, कुल किता 05 कुल रकबा 0.8762 हैक्टयर भूमि
ाने जाने हेतु विपक्षी सख्या 01 की ग्राम गरवाय के विलानाम खसरा नम्बर 920 रकबा 1.5049 बंजड विलानाम
मे से 0.0828 हैक्टयर (8मीटर चौड़ा एवं 121मीटर लम्बा)एवं ग्राम सेहणुन्दा के विलानाम आराजी नम्बर 50
ा 0.1138 हैक्टयर मे से 0.0088 हैक्टयर (8मीटर चौडा 11मीटर लम्बा) अर्थात् दोनो राजस्व ग्राम से कुल
ा 0.9628 हैक्टयर भूमि के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथ
भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदे
पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित
वाली 0.9628 हैक्टयर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी
पूर्ति हेतु राजकोष मे जमा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 17..06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)